255/581
dt-1-5-99

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
नैनीताल।

सेवा में,

प्रबन्धक,
सिद्धार्थ. पब्लिक. स्कूल, दोगाँव, पो0- भुजियाघाट . . . .
(नैनीताल)। . . . .

पत्रांक:-बे0शि0/ /मान्यता/ 255/581/....... दि0: 1-5-99 :

विषय:- प्रबन्धतंत्र द्वारा संचालित अशासकीय प्राथमिक विद्यालय को अस्थाई मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जिला मान्यता समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार आपसे प्राप्त अशासकीय प्राथमिक विद्यालय के मान्यता प्रकरण पर सम्यक् विचारोपरान्त राजाज्ञा सं0-1873/15-6-98-18 एस(7)/89 दिनांक 10 सितम्बर, 1998 तथा अशासकीय प्राथमिक विद्यालय की मान्यता सम्बन्धी पूर्ववर्ती शासनादेशों में निहित प्राविधानों/निर्धारित शर्तों के आधार पर आपके द्वारा संचालित अशासकीय प्राथमिक विद्यालय को निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ अस्थाई मान्यता प्रदान की जाती है।

:: प्रतिबन्ध ::

1-अस्थाई मान्यता के दौरान जाँच करने पर यदि किसी शर्तों में कोई त्रुटि/कमी पायी जाती है अथवा नियम/शर्तों का पालन नहीं किया जाता है तो आपके विद्यालय की अस्थाई मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।
2-अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालय को 05 वर्षों में स्थाई मान्यता हेतु आवेदन करना अनिवार्य होगा तथा स्थाई मान्यता हेतु निर्धारित सभी शर्तों को इस अवधि में पूरा करना आवश्यक होगा।
3-अस्थाई मान्यता प्राप्त किये जाने के उपरान्त यदि प्रबंधतंत्र द्वारा प्रशिक्षित अध्यापकों को विद्यालय से हटाया गया तो मान्यता का प्रत्याहरण कर लिया जायेगा।
4-विभाग/शासन द्वारा निर्धारित मानकानुसार अर्ह अध्यापकों की नियुक्ति कर इस कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है अन्यथा उनकी नियुक्ति विधिमान्य नहीं होगी।
5-समय-समय पर निर्गत समस्त विभागीय आदेशों/निर्देशों का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
6-विद्यालय में शिक्षण कार्य हेतु नियुक्त किये गये शिक्षकों को शासन/विभाग द्वारा निर्धारित वेतनमान एवं अन्य भत्ते दिये जाँय।
7-छात्र-छात्राओं से शासन/विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जाँय।
8-विद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम लागू किया जाँय।
9-भूमि-भवन निजी होने की दशा में उसका पंजीकरण संस्था के नाम से किया जाँय। भवन किराये का होने की स्थिति में भवन स्वामी द्वारा विद्यालय संचालन हेतु भवन कम से कम 19 वर्ष की अवधि तक दिये जाने सम्बन्धी अनुबन्ध-पत्र नोटरी से प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाँय।

भवदीय,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
नैनीताल।

पृ0सं0:-बे0शि0/ /मान्यता/....../....... उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, नैनीताल।
2- समस्त सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, विकास क्षेत्र- भीमताल (नैनी0)/नगर शिक्षा अधिकारी/प्रभारी नगर शिक्षा-अधिकारी, नगर क्षेत्र- . . . . (नैनीताल) को इस आशय से प्रेषित कि सम्बंधित संस्था से प्रतिबन्धों की पूर्ति करवाना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
नैनीताल।